न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 04/2012

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला—बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. छप्पनलाल
2. बद्रीलाल
3. रामस्वरूप पुत्रगण बाबूलाल
4. जसोदाबाई पुत्री बाबूलाल
5. माधो पुत्र भैरू जातिगण मेहर निवासीगण पलसावा तह0 अन्ता

(अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री बद्रीप्रसाद भारद्वाज, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक— 07.03.2022

1— प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 482 रकबा 0.28 है. किस्म बारानी I वाके ग्राम पलसावा तहसील—अन्ता राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065—68 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2015—2024 में खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044—63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 482 रकबा 0.28 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.नाला की किस्म बारानी I दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा—16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 [illegible] दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि [illegible] निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम पलसावा की आराजी खसरा नंबर 482 रकबा 0.28 है. पर अप्रार्थीगण लगभग 55 वर्ष से कृषि करते चले आ रहे हैं। यह भूमि नाले की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण इस भूमि को सं. 2015 से काश्त कर रहे हैं। पहले यह भूमि प्रार्थीगण के नाना श्री रामनाथ के नाम थी। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य एवं गरीब व्यक्ति हैं जिनका परिवार इसी भूमि पर आधारित है। अतः अप्रार्थीगणों को जारी नोटिस निरस्त फरमाकर भूमि की स्थिति यथावत रखी जावे।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली में बहस सुनकर तहसीलदार अन्ता से आवंटी को आवंटित आराजी के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट चाही। वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनांक 26.06.2019 को नियत की। तभी से अभिभाषक अप्रार्थीगण बहस हेतु समय चाहते रहे हैं तथा दिनांक 23.02.2022 को बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। इस पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार की सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

जिला कलक्टर
न्यायालय
बारां (राज०)

4– हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम पलसावा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य रामनाथ, माधो पुत्रगण भैरू जाति मेहर निवासी पलसावा के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.नाला थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 482 रकबा 0.28 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म बारानी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता न [illegible] सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई [illegible]। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम [illegible] राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.नाला दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5– हमने पेरोकार सरकार की बहस को एकपक्षीय सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज है, जिसका रामनाथ, माधो पुत्रगण भैरू जातिगण मेहर निवासीगण पलसावा तह0 अन्ता को आवंटन/नियमन किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 हैं बने है, मुताबिक खतौनी जमाबन्दी संवत् 2044–63 रामनाथ व माधो वल्द भैरू की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामनाथ, माधो पुत्रगण भैरू जातिगण मेहर निवासीगण पलसावा तह0 अन्ता को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

6– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि रामनाथ, माधो पुत्रगण भैरू जातिगण मेहर निवासीगण पलसावा तह0 अन्ता को साबिक आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला का आवंटन/नियमन की गयी आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है0 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.नाला दर्ज थी जिसका आवंटन रामनाथ, माधो पुत्रगण भैरू जातिगण मेहर निवासीगण पलसावा तह0 अन्ता को विधि विरूद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्ध मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में [illegible]के ग्राम पलसावा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु[illegible] से बना है जिसका रामनाथ, माधो पुत्रगण भैरू जातिगण मेहर निवासीगण पलसावा तह0 अन्ता [illegible] रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किया [illegible] भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व [illegible] अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, [illegible]मेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

8— तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी I वाके ग्राम पलसावा तहसील–अन्ता की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:26 IST
Reason: SelfAttested